भारत सरकार

रेल मंत्रालय

**राज्य सभा**

**23.03.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3358 का उत्तर**

**अकेले यात्रा कर रही महिलाओं के लिए बढ़ाए गए सुरक्षा उपाय**

3358. श्रीमती शशिकला पुष्पाः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ी में अकेले यात्रा कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रेल में महिला यात्रियों के लिए वर्तमान में उपलब्ध सुरक्षा उपायों की प्रकृति तथा प्रकार का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)

1. से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

अकेले यात्रा कर रही महिलाओं के लिए बढ़ाए गए सुरक्षा उपाय के संबंध में 23.03.2018 को राज्‍य सभा में श्रीमती शशिकला पुष्‍पा के अतारांकित प्रश्‍न सं. 3358 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण**।

(क) से (ग): रेलों पर पुलिस की व्‍यवस्‍था करना राज्य सरकार का विषय है, इसलिए रेल परि‍सरों और चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों का पंजीकरण करना, उनकी जांच करना और कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखना, राज्‍य सरकारों का सांविधिक उत्‍तरदायित्‍व है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेल पुलिस (रारेपु)/जिला पुलिस के जरिए करते हैं। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) यात्रियों और यात्री क्षेत्र की बेहतर रक्षा और सुरक्षा करने तथा उनसे जुड़े मुद्दों पर राजकीय रेल पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

महिला यात्रियों सहित यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्‍चित करने के लिए, रेलों द्वारा निम्‍नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

1. भेद्य और चिह्नित मार्गों /खंडों पर, विभिन्‍न राज्‍यों के राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, रेल सुरक्षा बल द्वारा 2500 गाड़ियों (औसतन) का मार्गरक्षण किया जा रहा है।
2. महानगरों में चलने वाली सभी महिला स्‍पेशल गाड़ि‍यों का महिला आरपीएफ कांस्‍टेबलों द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा है। अन्‍य गाड़ियों, जिनमें एस्‍कॉर्ट मुहैया कराए गए हैं, में गाड़ी मार्गरक्षण पार्टियों को लंबी दूरी वाली गाड़ियों में मार्गवर्ती और हॉल्‍ट स्‍टेशनों पर महिला सवारी डिब्‍बों पर अतिरिक्‍त नज़र रखने के लिए ब्रीफ किया गया है।
3. यात्रियों की सुरक्षा संवर्धन करने और उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्‍याओं के समाधान के लिए रेलें ट्विटर, फेसबुक जैसे अन्‍य सोशल मीडिया प्‍लेटफार्मों के जरिए महिला यात्रियों सहित यात्रियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती हैं।
4. विपत्‍ति के समय महिला और अन्‍य जरूरतमंद यात्रियों को सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय रेलों पर सुरक्षा हेल्‍पलाइन नंबर ‘182’ कार्य कर रहा है। शीघ्र सहायता सुनिश्‍चित करने के लिए इसे ऑटोमेटेड किया जा रहा है।
5. महिलाओं के लिए आरक्षित कंपार्टमेंटों में पुरुष यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं और उनके पकड़े जाने पर रेल अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उन पर मुकदमा चलाया जाता है।
6. रेल परिसरों और चलती गाड़ि‍यों में अपराध की रोकथाम, मामलों के पंजीकरण, उनकी जांच और कानून एवं व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए, रेल सुरक्षा बल द्वारा राज्‍य पुलिस/राजकीय रेल पुलिस के प्राधिकारियों के साथ सभी स्‍तरों पर निकट संपर्क बनाए रखा जाता है।
7. महिला यात्रियों सहित यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेल के लगभग 394 स्‍टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी रखी जाती है।
8. रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे स्‍टेशनों और गाड़ी के सवारी डिब्‍बों में सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली मुहैया कराने का विनिश्‍चय किया है।
9. 202 रेलवे स्‍टेशनों पर निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, पहुंच नियंत्रण, आदि के जरिए भेद्य स्‍टेशनों की इलैक्‍ट्रॉनिक निगरानी वाली एकीकृत सुरक्षा प्रणाली अनुमोदित की गई है।

\*\*\*\*\*